

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मलसीसर जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारी : सुमन देवी

(आर.ए.एस.)

दावा बाबत खाता विभाजन

अन्तिम वाद डिक्री

राजस्व वाद संख्या :- 28/2025 (मुंशी बनाम ओमप्रकाश वगैरह)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू, सुमन देवी, उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर बहाजिरी वकील वादी मिनजानिव मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिव मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिक्री दी जाती है कि

मुकदमा में न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 25.06.2025 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार मलसीसर को आदेश दिया गया था कि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा का मुताबिक कब्जा काशत रास्ते का युक्तियुक्त प्रावधान रखते हुये विधिवत् विभाजन तैयार किया जाकर विभाजन प्रस्ताव इस न्यायालय में प्रस्तुत करे।

तहसीलदार मलसीसर के आदेश क्रमांक भू0अ0/2025/2140 दिनांक 10.12.2025 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। न्यायालय के निर्णय दिनांक 17.12.2025 निर्णयवाद मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर ग्राम लादूसर की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 157, 346 कुल किता 2 कुल रकबा 2.16 है0 भूमिका निम्न प्रकार खाता विभाजन का आदेश दिया जाता है विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा :-

क्र.सं	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा (है0)	भूमि किस्म
1	मुंशी पुत्र मालाराम जाति मेघवाल सा0 लादूसर खातेदार	157/1	0.44	बा.3
2	परमेश्वरी देवी पत्नी मनीराम ओमप्रकाश किताब संतरा सुनिता सुभाष पि0 मनीराम हि0 18/43 बहिब चन्दगी पुत्र झूथाराम हि. 7/43 ताराचन्द धर्मपाल सुरेश कुमार पिता औंकार हि. 81/215 बहिब कमलेश देवी तारामणी देवी पिता औंकार हि0 9/215 बहिब जाति मेघवाल सा. देह खातेदार	157/2 346 किता-2	1.37 0.35 1.72	बा.3 बा.3

मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 17.12.2025 को जारी की गई



(सुमन देवी)

उपखण्ड अधिकारी,

मलसीसर